# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 140/2002
आरसीएमएस नं. :–2022/00018 (18/2002)

1. मामचन्द पुत्र श्री रामजस जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –फौत
   1/1 धर्मपाल पुत्र मामचन्द
   1/2 इन्द्राज पुत्र मामचन्द
   1/3 गौरीशंकर पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –फौत
   1/3/1 विमला पत्नी गौरीशंकर जाति जाट साकिन रासलाना तहसील भादरा
   1/3/2 सुरेन्द्र कुमार
   1/3/3 चरण सिंह
   1/3/4 समेस्ता
   } पिसरान गौरीशंकर जाति जाट साकिन रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/4 इन्द्रपाल पुत्र मामचन्द
   1/5 राजेन्द्र पुत्र मामचन्द
   1/6 सावित्री पुत्री मामचन्द
   1/7 फूली पुत्री मामचन्द
   1/8 कमला पुत्री मामचन्द
   } जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्ध आदेश अपर जिला कलक्टर नोहर, दिनांक 16.11.2002 प्र. सं. 79/02
अनवान सरकार बनाम मामचन्द आदि

उपस्थितिः–
श्री हवासिंह पूनिया, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

Lam

निर्णय दिनांक 10.XI.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अपर जिला कलक्टर के एमक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत पेश किया। जिसमें कथन कियाकि सहायक कलक्टर नोहर मु0 भादरा ने दिनांक 09.01.02 को अप्रार्थीगण को ग्राम रासलाना तहसील भादरा के ख. नं. 417 की 6.07 बीघा भूमि गैर मुमकिन पायतन का आवंटन किया है। उक्त आवंटन कपटपूर्वक तथ्य छिपाकर प्राप्त किया गया है। अप्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों की कुल भूमि की जांच नहीं की गई। आवंटित भूमि गैर मुमकिन गोचर है तथा सार्वजनिक उपयोग की है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र का विरोध किया एवं प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं आवंटन आदेश दिनांक 24.12.01 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार भादरा ने तीन आधार लिये है जिनको किसी भी दस्तावेजी सबूत से सिद्ध नहीं किया है। अपीलाण्ट के पास कितनी भूमि है, सीलिंग सीमा से कम है या ज्यादा है ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ना ही तहसीलदार भादरा ने यह स्पष्ट किया है कि तथ्य छिपाये हैं। प्रार्थना– में यह स्पष्ट किया था कि तथ्य छिपाये हैं तो प्राविजन के तहत नहीं होने की वजह से चलने योग्य नहीं थी। प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट को आवंटित की गई थी तथा लम्बे समय से आवंटन के बाद लगातार काश्त में चली आ रही है जिसका आवंटन विधि अनुसार किया गयाहै एवं राज्य हित में राजस्व ही प्राप्त हुआ इसके बावजूद भी मातहत अदालत ने आवंटन निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया सिर्फ आवंटन निरस्त करने का आदेश मनमाना स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध है। भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है जो रिकार्ड में पायतन दर्ज है लेकिन मौके पर काबिल काश्त है किसी भी सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित एवं रिजर्व नहीं है। सार्वजनिक काम नहीं आती है तथा अपीलांट की भूमि के चिपती हुई भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आवंटन सहायक कलक्टर नोहर के द्वारा किया गया है प्रश्नगत भूमि गैर

Law

मुमकिन पायतन  राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। धारा 16 आरटीएक्ट के अन्तर्गत गैर मुमनि पायतन भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। प्रश्नगत आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन पायतन होने के कारण आवंटन निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर नोहर मु0 भादरा द्वारा दिनांक 24.12.01 को खसरा नं. 417 में 6.07 बीघा गैर मुमकिन पायतन भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। बहस में आये तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। आवंटित भूमि गैर मुमकिन पायतन होने के कारण सार्वजनिक उपयोग की है। राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत भी ऐसी भूमि प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पायतन दर्ज होने के कारण प्रशगनत आवंटन खारिज किया गया जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैएवं अपर जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.02 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/XI/22

**(करतारसिंह पूनिया)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**हनुमानगढ**